

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 491/2024

अनवान : -

1. इसरराम पुत्र डुंगरराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. तीजा देवी पत्नी स्व0 गणपतराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. शंकरलाल पुत्र स्व0 गणपतराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. जलाराम पुत्र स्व0 गणपतराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. सुमेर पुत्र स्व0 गणपतराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
5. कश्मीरी राम पुत्र स्व0 गणपतराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
6. प्रभुराम पुत्र स्व0 गणपतराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
7. सीता पुत्री स्व0 गणपतराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
8. द्रोपती पुत्री स्व0 गणपतराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
9. तुलछी पुत्री स्व0 गणपतराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
10. पन्नी देवी स्व0 दानाराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
11. हरिराम पुत्र दानाराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
12. प्रेम कुमार पुत्र दानाराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
13. हनुमान पुत्र दानाराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
14. सविता पुत्री दानाराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
15. कृष्णा पुत्री दानाराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
16. साधुराम पुत्र डुंगरराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
17. अणची पत्नी स्व0 रामेश्वरलाल जाति सांसी निवासी थिरानी तहसील नोहर।
18. राजु पुत्र स्व0 रामेश्वरलाल जाति सांसी निवासी थिरानी तहसील नोहर।
19. बिरजु पुत्र स्व0 रामेश्वरलाल जाति सांसी निवासी थिरानी तहसील नोहर।
20. कृष्ण पुत्र स्व0 रामेश्वरलाल जाति सांसी निवासी थिरानी तहसील नोहर।
21. चुनीराम पुत्र स्व0 रामेश्वरलाल जाति सांसी निवासी थिरानी तहसील नोहर।
22. छोटूराम पुत्र स्व0 रामेश्वरलाल जाति सांसी निवासी थिरानी तहसील नोहर।
23. हंसराम पुत्र स्व0 रामेश्वरलाल जाति सांसी निवासी थिरानी तहसील नोहर।
24. सुनीता पुत्री स्व0 रामेश्वरलाल जाति सांसी निवासी थिरानी तहसील नोहर।
25. राजो देवी पुत्री स्व0 रामेश्वरलाल जाति सांसी निवासी थिरानी तहसील नोहर।
26. हजारीलाल पुत्र स्व0 रामेश्वरलाल जाति सांसी निवासी थिरानी तहसील नोहर।
27. दलीप पुत्र स्व0 रामेश्वरलाल जाति सांसी निवासी थिरानी तहसील नोहर।
28. हाकुराम पुत्र डुंगरराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
29. गंगादेवी पत्नी स्व0 बक्युराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
30. दुकल पुत्र स्व0 बक्युराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
31. कानाराम पुत्र स्व0 बक्युराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
32. महेन्द्र पुत्र स्व0 बक्युराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
33. लाधुराम पुत्र स्व0 बक्युराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
34. कलावती पुत्री स्व0 बक्युराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
35. हिरा देवी पत्नी सेवाराम पुत्र ईशरराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
36. राजदेवी पत्नी स्व0 गगुराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
37. हंसराज पुत्र स्व0 गगुराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
38. मकखन पुत्र स्व0 गगुराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
39. अमरसिंह पुत्र स्व0 गगुराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
40. हिरा पुत्री स्व0 गगुराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
41. मीरा पुत्री स्व0 गगुराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
42. कमला देवी पत्नी साजनराम पुत्र दानाराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।  
रावतसर।
43. सुखराम पुत्र साजनराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर (हनु0)

44. मुखराम पुत्र साजनराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
45. पतराम पुत्र साजनराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
46. निशा पुत्री साजनराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
47. सावित्री पुत्री डुंगरराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
48. हुरमा पुत्री डुंगरराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
49. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 राजस्थान काश्त0

अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी  
पेरोकार राज


निर्णय

दिनांक: 02/08/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 112/90 की 5.9820 हैक्ट भूमि डुंगरराम पुत्र नत्थुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड रिकार्ड में डुंगरराम पुत्र नत्थुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। डुंगरराम पुत्र नत्थुराम का स्वर्गवास हो चुका है। डुंगरराम पुत्र नत्थुराम के आठ लड़के ईशरराम, गणपतराम, बक्खुराम, गंगुराम, दानाराम, साधुराम, रामेश्वरलाल, हाकुराम एवं दो पुत्रीया सावित्री व हुरमा देवी हुए तथा इनमे से गणपतराम, बक्खुराम, गंगुराम, दानाराम, रामेश्वरलाल फौत हो चुके हैं। इनके स्वर्गवास के बाद डुंगरराम पुत्र नत्थुराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 48 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 9 ने अपना हक हिस्सा अपनी माता तीजा के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 29 तर 34 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी स0 35 के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा 46, 47 ने अपना हक हिस्सा भाइयों के पक्ष में परित्याग कर दिया है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 व 11, 13 ता 16 व 18 ता 25 व 27 ता 34 व 37 ता 41 तथा 44 ता 49 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में परित्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग राही मौजा थिराना के खाता स0 112/90 के ख0न0 107/1 की 5.9820 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 17 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख 35 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 36 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 42 अकेला 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं मृतक डुंगरराम पुत्र नत्थुराम का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है इन्ही आशयो की वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

 अधिकारी  
नोहर (हनु0)

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 48 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 48 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 49 पेरकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण गणपतराम, मृत्यु प्रमाण पत्र गगुराम, मृत्युप्रमाण पत्र बक्खुराम, मृत्यु प्रमाण पत्र रामेश्वरलाल, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड रिकार्ड में डुंगरराम पुत्र नत्थुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। डुंगरराम पुत्र नत्थुराम का स्वर्गवास हो चुका है। डुंगरराम पुत्र नत्थुराम के आठ लड़के ईशरराम, गणपतराम, बक्खुराम, गंगुराम, दानाराम, साधुराम, रामेश्वरलाल, हाकुराम एवं दो पुत्रीया सावित्री व हुरमा देवी हुए तथा इनमे से गणपतराम, बक्खुराम, गंगुराम, दानाराम, रामेश्वरलाल फौत हो चुके है। इनके स्वर्गवास के बाद डुंगरराम पुत्र नत्थुराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 48 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 9 ने अपना हक हिस्सा अपनी माता तीजा के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 29 तर 34 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी सं० 35 के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा 46, 47 ने अपना हक हिस्सा भाइयों के पक्ष में परित्याग कर दिया है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 व 11, 13 ता 16 व 18 ता 25 व 27 ता 34 व 37 ता 41 तथा 44 ता 49 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में परित्याग कर शून्य कर लिया है। बाद हक त्याग राही मौजा थिराना के खाता सं० 112/90 के ख० न० 107/1 की 5.9820 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 17 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख 35 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 36 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 42 अकेला 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

अ  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर (हनु०)

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीग ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 112/90 की 5.9820 हैक्ट भूमि डुंगरराम पुत्र नत्थुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड रिकार्ड में डुंगरराम पुत्र नत्थुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादी का पिता है। डुंगरराम पुत्र नत्थुराम का स्वर्गवास हो चुका है। डुंगरराम पुत्र नत्थुराम के आठ लड़के ईशरराम, गणपतराम, बक्खुराम, गंगुराम, दानाराम, साधुराम, रामेश्वरलाल, हाकुराम एवं दो पुत्रीया सावित्री व हुस्मा देवी हुए तथा इनमे से गणपतराम, बक्खुराम, गंगुराम, दानाराम, रामेश्वरलाल फौत हो चुके है। इनके स्वर्गवास के बाद डुंगरराम पुत्र नत्थुराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 48 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 9 ने अपना हक हिस्सा अपनी माता तीजा के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 29 तर 34 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी स0 35 के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा 46, 47 ने अपना हक हिस्सा भाइयों के पक्ष में परित्याग कर दिया है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 व 11, 13 ता 16 व 18 ता 25 व 27 ता 34 व 37 ता 41 तथा 44 ता 49 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में परित्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा थिराना के खाता स0 112/90 के ख0न0 107/1 की 5.9820 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1/8 हिस्सा, पतिवादी संख्या 1 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 17 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख 35 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 36 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 42 अकेला 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काशतकार है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार कार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 48 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र बाबत वारिसान एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक डुंगरराम पुत्र नत्थुराम के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 112/90 की 5.9820 हैक्ट भूमि डुंगरराम पुत्र नत्थुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में डुंगरराम पुत्र नत्थुराम का नाम कलमजन किया जाकर 1/8 हिस्सा भूमि का वादी को, 1/8 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को, 1/8

हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 12 को, 1/8 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 17 को, 1/8 हिस्सा भूमि का 35 को, 1/8 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 36 को, 1/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 42 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 02/08/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*el*  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)  
प्रकरण संख्या - 491/2024

अनवान : -

1. इसरराम पुत्र डुंगरराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. तीजा देवी पत्नी स्व० गणपतराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. शंकरलाल पुत्र स्व० गणपतराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. जलाराम पुत्र स्व० गणपतराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. सुमेर पुत्र स्व० गणपतराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
5. कश्मीरी राम पुत्र स्व० गणपतराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
6. प्रभुराम पुत्र स्व० गणपतराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
7. सीता पुत्री स्व० गणपतराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
8. द्रोपती पुत्री स्व० गणपतराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
9. तुलछी पुत्री स्व० गणपतराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
10. पन्नी देवी स्व० दानाराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
11. हरिराम पुत्र दानाराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
12. प्रेम कुमार पुत्र दानाराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
13. हनुमान पुत्र दानाराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
14. सविता पुत्री दानाराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
15. कृष्णा पुत्री दानाराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
16. साधुराम पुत्र डुंगरराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
17. अणवी पत्नी स्व० रामेश्वरलाल जाति सांसी निवासी थिरानी तहसील नोहर।
18. राजु पुत्र स्व० रामेश्वरलाल जाति सांसी निवासी थिरानी तहसील नोहर।
19. बिरजु पुत्र स्व० रामेश्वरलाल जाति सांसी निवासी थिरानी तहसील नोहर।
20. कृष्ण पुत्र स्व० रामेश्वरलाल जाति सांसी निवासी थिरानी तहसील नोहर।
21. चुनीराम पुत्र स्व० रामेश्वरलाल जाति सांसी निवासी थिरानी तहसील नोहर।
22. छोटूराम पुत्र स्व० रामेश्वरलाल जाति सांसी निवासी थिरानी तहसील नोहर।
23. हंसराम पुत्र स्व० रामेश्वरलाल जाति सांसी निवासी थिरानी तहसील नोहर।
24. सुनीता पुत्री स्व० रामेश्वरलाल जाति सांसी निवासी थिरानी तहसील नोहर।
25. राजो देवी पुत्री स्व० रामेश्वरलाल जाति सांसी निवासी थिरानी तहसील नोहर।
26. हजारीलाल पुत्र स्व० रामेश्वरलाल जाति सांसी निवासी थिरानी तहसील नोहर।
27. दलीप पुत्र स्व० रामेश्वरलाल जाति सांसी निवासी थिरानी तहसील नोहर।
28. हाकुराम पुत्र डुंगरराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
29. गंगादेवी पत्नी स्व० बक्खुराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
30. ढुकल पुत्र स्व० बक्खुराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
31. कानाराम पुत्र स्व० बक्खुराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
32. महेन्द्र पुत्र स्व० बक्खुराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
33. लाधुराम पुत्र स्व० बक्खुराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
34. कलावती पुत्री स्व० बक्खुराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
35. हिरा देवी पत्नी सेवाराम पुत्र ईशरराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
36. राजदेवी पत्नी स्व० गगुराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
37. हंसराज पुत्र स्व० गगुराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
38. मक्खन पुत्र स्व० गगुराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
39. अमरसिंह पुत्र स्व० गगुराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
40. हिरा पुत्री स्व० गगुराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
41. मीरा पुत्री स्व० गगुराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
42. कमला देवी पत्नी साजनराम पुत्र दानाराम जाति सांसी निवासी चक 16 आरडब्ल्यूडी रावतसर।
43. सुखराम पुत्र साजनराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
44. मुखराम पुत्र साजनराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर (हनु०)

45. पतराम पुत्र साजनराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
46. निशा पुत्री साजनराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
47. सावित्री पुत्री डुंगरराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
48. हुस्मा पुत्री डुंगरराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
49. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 317 सन 2024 निर्णय दिनांक 02/08/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 112/90 की 5.9820 हैक्ट भूमि डुंगरराम पुत्र नत्थुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में डुंगरराम पुत्र नत्थुराम का नाम कलमजन किया जाकर 1/8 हिस्सा भूमि का वादी को, 1/8 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को, 1/8 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 12 को, 1/8 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 17 को, 1/8 हिस्सा भूमि का 35 को, 1/8 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 36 को, 1/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 42 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/08/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

al  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर